भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5903

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

अनौपचारिक श्रमिकों का रोजगार डेटा

5903. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली सहित महानगरों में अनौपचारिक कामगारों से संबंधित क्षेत्र-वार रोजगार के आंकड़ों को आवधिक आधार पर अद्यतन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत नामांकन से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में आसानी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गिग और प्लेटफार्म कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई श्रम संहिताओं के अनुपालन की निगरानी डिजिटल निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा शहरी अनौपचारिक कार्यबल के औपचारिकीकरण और संरक्षण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनंक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है। दिनांक 22.03.2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31.57 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें दिल्ली में पंजीकृत 36.36 लाख से अधिक असंगठित कामगार शामिल हैं।

असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को “वन-स्टॉप समाधान” के रूप में विकसित करने के बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - “वन-स्टॉप समाधान” का शुभारंभ किया। ई-श्रम - “वन-स्टॉप समाधान” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर किया

गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

ई-श्रम कार्ड धारकों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच तथा लाभों के विस्तार हेतु अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं यथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम रोजगार अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल से जुड़ा है।

केन्द्र सरकार ने चार श्रम संहिताएं कार्यान्वित की हैं, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी है।

यह संहिता, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है। इस संहिताओं में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

ये चार श्रम संहिताएं एकल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और रिटर्न का प्रावधान करती हैं, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, ये कामगारों को उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं जिसमें असंगठित कामगार भी शामिल हैं और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रारूपों को सरल बनाने, अनुपालन में आसानी लाने, निरीक्षणों में पारदर्शिता और शिकायतों के शीघ्र निवारण को सुनिश्चित करने के लिए, दो वेब पोर्टल विकसित किए हैं, जिनमें से एक श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) है, जो इकाइयों के

ऑनलाइन पंजीकरण, निरीक्षणों की रिपोर्टिंग, वार्षिक रिटर्न जमा करने और शिकायतों के निवारण के लिए है, और दूसरा समाधान पोर्टल है, जो शिकायतों के निवारण के लिए है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****